कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1339 / 2023 / 10–11 / 1102 भोपाल, दिनांक 19-2-24

प्रेषकः–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– सिवनी जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घंसौर–केदारपुर मुख्य मार्ग से चरगांव उमरडीह–बखारी मार्ग एवं पुल–पुलिया के निर्माण हेतु 2.59 हेक्टेयर वनभूमि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सिवनी को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/ 37851/2018)

संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक / 6-MPB 066/2023-BHO दिनांक 26.12.2023.

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 12 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	KML file of Alternative alignments shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा विकल्प हेतु स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।
2	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with layout plan shall be submitted	आवेदक संस्थान द्वारा Component wise breakup की जानकारी ऑनलाईन भाग–1 के एडीशनल कॉलम में अपलोड की गई है।
3	Road side plantation scheme shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर पूर्व से ही घने जंगल है, जिसमें सागौन एवं अन्य प्रजाति के पेड़ लगे हुए हैं। अतः सड़क के दोनों ओर पुनः वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।

4	No objection certificates of concerned departments (Railway, Pipeline, TL, etc) shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग के समीप किसी प्रकार की रेलवे लाईन, पाईप लाईन दूर संचार केवल लाईन आदि नहीं जा रही है और न ही सड़क मार्ग से क्रॉसिंग हो रही है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5	Complete CA scheme shall be uploaded on web portal.	प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना ऑनलाईन भाग–2 के एडीशनल कॉलम में वन मण्डलाधिकारी उत्तर सिवनी द्वारा अपलोड कर दी गई है।
6	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डलाधिकारी उत्तर सिवनी के हस्ताक्षर सहित Justification प्रस्तुत किया है, जो पोर्टल के भाग–1 के एडीशनल कॉलम में अपलोड है एवं हार्डकॉपी में संलग्न है।
7	The Certificate of Collector under FRA, 2006 needs to be submitted	आवेदक संस्थान द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर सिवनी का प्रमाण पत्र दिनांक 08.02.2024 ऑनलाईन भाग–1 के एडीशनल कॉलम में अपलोड किया गया है एवं हार्डकॉपी में संलग्न है।
8	As the proposal involves construction of bridge etc the component wise break up may correct accordingly in online Part I.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित परियोजना में वन रो/टू रो हयूम पाइप कलवर्ट शामिल है, जिनकी अधिकतम लम्बाई लगभग 6.00 मीटर से 8.00 मीटर तक होती है। परियोजना में बड़े आकार के पुल–पुलिया शामिल नहीं है। अतः घटकवार विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य सड़क निर्माण कार्य में ही शामिल है।
9	The land schedule mentioning length and width details is required shall be submitted	आवेदक संस्थान ने मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक लम्बाई एवं चौड़ाई का विवरण ऑनलाईन भाग–1 के एडीशनल कॉलम में अपलोड किया गया है एवं हार्डकॉपी में संलग्न है।
10	The copy of administrative approval is required shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.07.2015 ऑनलाईन भाग–1 के एडीशनल कॉलम में अपलोड की है एवं हार्डकॉपी में संलग्न है।

11	The requisite CA scheme is not uploaded in online portal at designated column in online Part II.	प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना ऑनलाईन भाग–2 के एडीशनल कॉलम में वन मण्डलाधिकारी उत्तर सिवनी द्वारा अपलोड कर दी गई है।
12	The detail muck disposal plan mentioning total amount of muck to be generated in the project, to be utilised and dumped etc. shall be submitted	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि परियोजना सड़क निर्माण कार्य से संबंधित है, जिसमें वनक्षेत्र से बाहर से 19056 घन मीटर मिट्टी लाकर सड़क निर्माण का कार्य कराया जावेगा। इसमें अनुपयोगी मिट्टी वनक्षेत्र में डंपिंग का कार्य नहीं किया जावेगा।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

15.02.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1339 / 2023 / 10–11 / 1103 भोपाल, दिनांक 19-2-24

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) सिवनी वृत्त, सिवनी, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, उत्तर सिवनी, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सिवनी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

15.02.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल